बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–432 दिनांक–13.03.2026 द्वारा श्री राजेश कुमार भगत (कोटि क्रमांक–406/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, विद्यापतिनगर, समस्तीपुर सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–023/2026 दिनांक–23.02.2026, धारा–7(a) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) दर्ज होने तथा इस क्रम में निगरानी धावा–दल द्वारा दिनांक–24.02.2026 को परिवादी श्री राम एकबाल सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता से 10,000/– (दस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने संबंधी प्राप्त सूचना एवं गंभीर आरोपों के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–1476 दिनांक–25.03.2026 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया। श्री भगत के कारागार से रिहा होने के उपरान्त इनके द्वारा समर्पित योगदान को स्वीकार करते हुए समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश ज्ञापांक–3211 दिनांक–17.06.2026 द्वारा इन्हें पुनः निलंबित किया गया है।

2. उक्त के क्रम में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–1087 दिनांक–13.07.2026 द्वारा श्री भगत के विरूद्ध रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) (i), (ii) एवं (iii) के प्रावधानों के उल्लंघन करने तथा अन्य आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। तद्आलोक में विभाग स्तर से आरोप पत्र पुनर्गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

श्री भगत के विरूद्ध प्रतिवेदित मामला सरकारी पद का दुरूपयोग कर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने से संबंधित है, जो अत्यन्त गंभीर/घोर कदाचार की श्रेणी में आता है तथा उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के संगत प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है। उपर्युक्त आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के अधीन श्री भगत के विरूद्ध जाँच करने का प्रस्ताव है।

3. उक्त आरोपों से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्री राजेश कुमार भगत (कोटि क्रमांक–406/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, विद्यापतिनगर, समस्तीपुर सम्प्रति निलंबित आपूर्ति निरीक्षक (मुख्यालय–जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कार्यालय, बांका) से अपेक्षा की जाती है कि पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर अपना लिखित बचाव अभिकथन विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करें।

4. श्री भगत को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त आरोपों के मदों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर विभाग को अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में निर्णय उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों के आधार पर कर लिया जाएगा।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–08/2026 4854 खाद्य, पटना/दिनांक– 06/08/2026

प्रतिलिपि–1. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बांका/अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री राजेश कुमार भगत (कोटि क्रमांक–406/2024), निलंबित आपूर्ति निरीक्षक (मुख्यालय–जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कार्यालय, बांका), मोबाईल संख्या–8678858251, E-Mail : rajeshravibhagat@gmail.com को आरोप पत्र एवं साक्ष्य अभिलेखों के साथ (अनु0–यथोक्त) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।